राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

<u>निगरानी संख्या 847/2015/जयपुर</u>

राजस्थान सरकार जरिए उप पंजीयक पंचम,
जयपुर ....प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती सुमन शाह पत्नी श्री कमल कुमार शाह,
पुत्री श्री हरि नारायण रावत एवं श्रीमती यशोदा देवी,
जाति महाजन, निवासी बी–47, ज्योति मार्ग, गणेश मार्ग, बापूनगर,
जयपुर हाल निवासी ए–13, कांवटिया हॉस्पिटल के सामने, शास्त्री नगर, जयपुर

2. श्रीमती रेखा खण्डेलवाल पत्नी श्री राम खण्डेलवाल
पुत्री श्री हरि नारायण रावत एवं श्रीमती यशोदा देवी, जाति महाजन,
निवासी बी–47, ज्योति मार्ग, गणेश मार्ग, बापूनगर, जयपुर
हाल निवासी मकान नं. 4–स–12, जवाहर नगर, जयपुर

3. श्रीमती संजना कनूनगो @ श्रीमती संतोष कनूनगो
पत्नी श्री नितिन कनूनगो पुत्री श्री हरि नारायण रावत
एवं श्रीमती यशोदा देवी, जाति महाजन, निवासी बी–47, ज्योति मार्ग,
गणेश मार्ग, बापूनगर, जयपुर हाल निवासी मकान नं. 47, न्यू कॉलोनी, जयपुर

4. श्रीमती उमा खण्डेलवाल पत्नी श्री अनिल खण्डेलवाल
पुत्री श्री हरि नारायण रावत एवं श्रीमती यशोदा देवी,
जाति महाजन, निवासी बी–47, ज्योति मार्ग, गणेश मार्ग, बापूनगर,
जयपुर हाल निवासी मकान नं. सी–3, टी.पी.एस. स्कूल के पास,
राम मार्ग, शास्त्री नगर, जयपुर ....अप्रार्थीगण

<u>खण्डपीठ</u>
<u>श्री राजीव चौधरी, सदस्य</u>
<u>श्री नत्थूराम, सदस्य</u>

उपस्थितः
श्री सीतांशु शर्मा,
उप राजकीय अभिभाषक ....प्रार्थी की ओर से
श्री बलवन्त कुमावत,
अभिभाषक ....अप्रार्थीयागण संख्या 1 ता 4 की ओर से

निर्णय दिनांक :– 29.06.2018

<u>निर्णय</u>

1. यह निगरानी राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक जयपुर पंचम द्वारा विद्वान अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर (जिसे आगे **'कलक्टर'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 22.10.2014 प्रकरण संख्या 760/2013(पुराना 810/12) के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1899 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उप पंजीयक जयपुर पंचम के कार्यालय में दिनांक 17.07.2008 को पारिवारिक विभाजन पत्र का दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत हुआ। दस्तावेज से संबंधित सम्पत्ति प्लॉट नं. बी–47, ज्योति मार्ग, गणेश मार्ग, बापूनगर, गांधीनगर, में स्थित आवासीय सम्पत्ति क्षेत्रफल 1364.5 वर्गगज व इसमें निर्मित आवासीय मकान था। दस्तावेज दिनांक 17.07.2008 को पंजीबद्ध कर संबंधित को लौटा दिया गया।

लगातार...........2

उक्त पंजीबद्ध दस्तावेज संख्या 9582/08 को महालेखाकार के निरीक्षण में कमी मुद्रांक पर पंजीबद्ध होना पाये जाने पर आक्षेपित किया है कि दस्तावेज पर राज्य अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 के तहत अधिकतम रूपये 10,000/— मुद्रांक कर लिया गया है जबकि राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 2(20) में विभाजन पत्र को परिभाषित किया गया है। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की अनुसूची के आर्टीकल 42 के अनुसार विभाजन पत्र पर सम्पत्ति के एक हिस्से को छोड़कर अलग हुये हिस्से पर कन्वेन्स की दर से मुद्रांक कर प्रभार्य है। अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 91 के अनुसार असंगत है। चूंकि स्टाम्प एक्ट दिनांक 27.05.2004 से प्रभावी हो गया था। इसकी अनुसूची के आर्टीकल 42 के अनुसार मुद्रांक कर देय है। प्रकरण से सम्बन्धित सम्पत्ति बी–47 ज्योति मार्ग गणेश मार्ग बापूनगर, गांधी नगर आवासीय योजना जयपुर कुल क्षेत्रफल 1364.5 वर्गगज है जिसका कुल मूल्यांकन रूपये 1,26,37,053/— होता है जिस पर कमी मुद्रांक कर रूपये 10,00,964/— मय शास्ति वसूली हेतु उप पंजीयक ने प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित किया है। उप पंजीयक की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया कि वह अपना पक्ष प्रस्तुत करें। प्रकरण में दिनांक 28.02.2013 को एकपक्षीय आदेश पारित किया गया। श्रीमती सुमन शाह वगैराह की ओर से आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के अन्तर्गत एकपक्षीय निर्णय अपास्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो निर्णय दिनांक 15.10.2013 द्वारा स्वीकार किया गया। अप्रार्थीया की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि सम्पत्ति पैतृक है जिसका बंटवारनामा उप पंजीयक पंचम के कार्यालय में प्रस्तुत करने के पश्चात् मुद्रांक कर रूपये 10,000/— वसूल किया है जो तत्समय प्रचलित नियमानुसार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह अवधारित करते हुए कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 के अनुसार प्रशनगत दस्तावेज पर अधिकतम राशि रूपये 10,000/— ही देय है, रेफरेन्स अस्वीकार किया है जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. निगरानी प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीयागण को तलब किया गया। अप्रार्थीयागण 1 ता 4 की ओर से उनके विद्वान अभिभाषक उपस्थित आये।

4. विभागीय पैरोकार राज ने निवेदन किया कि ऑडिट दल ने जांच के दौरान इस दस्तावेज को कमी मालियत का माना है। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 के आर्टिकल–42 के अनुसार विभाजन पत्र के दस्तावेज में संपति की मालियत पर कन्वेंस की दर से मुद्रांक कर प्रभार्य है। प्रश्नगत दस्तावेज में कन्वेंस की दर से मुदांक कर प्रभार्य है। प्रश्नगत दस्तावेज की कीमत रूपये 1,26,37,053/— होती है। इस आधार पर अतंर राशि रू. 10,00,964/— मय शास्ति वसूली के आदेश दिये जाने चाहिये। इन्होने यह भी कथन किया कि प्रकरण में जिस संपति का विभाजन पत्र निष्पादित किया गया था

लगातार............3

वो सम्पति पैतृक नहीं होकर श्रीमती यशोदा देवी पत्नि हरिनारायण की स्वयं अर्जित आय से क्रय की गई सम्पति थी इस कारण वो पैतृक सम्पति नहीं मानी जा सकती है व जो विभाजन पत्र निष्पादित किया गयां है उस पर उपरोक्त वर्णित अधिसूचना लागू नहीं होने से पूर्ण मुद्रांक कर अदा करने की जवाबदेही बनती है। उपरोक्त निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत, विधिविरुद्ध है जो निरस्त करने योग्य है।

5. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावी मानी है जो विधिसम्मत है। अतः निगरानी खारिज की जावे। इन्होंने अपने समर्थन में माननीय कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा निगरानी संख्या 408/2015 राजस्थान सरकार बनाम श्रीमती रेखा खण्डेलवाल आदि में पारित निर्णय दिनांक 15.12.2017 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व विभागीय पैरोकार की बहस को सुना गया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

7. निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, प्रार्थना पत्र में अंकित कारण कि प्रशासनिक प्रकिया में समय लगा है संतोषजनक होने, निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है।

8. प्रकरण में मुख्य विवाद यह है कि मुद्रांक कर बाजार मूल्य के अनुसार देय है अथवा राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 के अनुसार देय है।

9. प्रकरण में इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि उपरोक्त अधिसूचना जो भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 जो कि वर्तमान राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के लागू होने की दिनांक 27.05.2004 से पूर्व लागू था, के अन्तर्गत जारी अधिसूचना वर्तमान अधिनियम के असंगत है या नही तथा इसका लाभ इस दस्तावेज पंजीयन दिनांक 17.07.2008 पर देय है या नही। इस संबंध में राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 91 (2) का अवलोकन किया जाता है जो निम्न प्रकार है :–

91. Repeal and Savings — (2) Any appointment, notification, notice, order, rule orform made or issued under the enactment hereby repealed shall be deemed to have been made or issued under the provisions of this Act, in so far as such appointment, notification, notice, order, rule or form is not inconsistent with the provisions of this Act and shall continue in force, unless and until it is superseded by an appointment, notification, notice, order, rule or form made or issued under this Act.

इस प्रावधान से यह स्पष्ट है कि पुराने अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई कोई अधिसूचना नये अधिनियम में तब तक लागू होगी जब तक कि यह अधिसूचना अतिष्ठित

लगातार............4

(Superseded) न कर दी जावें। अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 को प्रत्याहारित करने के संबंध में राज्य पक्ष की ओर से कोई परिपत्र या अधिसूचना या विधिक प्रावधान प्रस्तुत नही किया है। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 9 (1) निम्न प्रकार है:–

9 - Power to reduce, remit or compound duties (1) The Government, if satisfied that it is necessary to do so in the public interest, may by rule or order published in Official Gazette, reduce or remit, whether prospectively or retrospectively, in the whole or any part of the territories under its administration, the duties with which any instruments or any particular class of instruments, or any of the instruments belonging to such class, or any instruments when executed by or in favour of any particular class of persons, or by or in favour of any member of such class are chargeable.

इस प्रावधान के अन्तर्गत राज्य सरकार को जनहित में शुल्क को कम करने की शक्तियाँ प्रदत्त है। अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की धारा 9 के अन्तर्गत जारी की गई है जिसमें भी राज्य सरकार को शुल्क कम करने की शक्तियाँ थी। इस प्रकार जिन शक्तियों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की धारा 9 के अन्तर्गत शुल्क में रियायत की अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 जारी की गई है, वही शक्तियाँ राज्य सरकार को राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 9 के अन्तर्गत प्रदत्त है तथा यह अधिसूचना नये अधिनियम के अन्तर्गत असंगत नही मानी जा सकती।

इस संबंध में मुद्रांक विभाग द्वारा ली गई विधिक स्थिति हेतु महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर का परिपत्र संख्या 24/2015 क्रमांक : एफ 7(39)जन/मार्गदर्शिका/2015/पार्ट/4671 दिनांक 17.06.2015 अवलोकनीय है जो निम्नुसार है :– राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के लागू होने की दिनांक 27.05.2004 से पूर्व लागू राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत दी गई मुद्रांक शुल्क की रियायतें वर्तमान में प्रभावी होने के संबंध में :– "राज्य सरकार द्वारा पत्र क्रमांक प.2(50)वित/कर/10 दिनांक 01.12.2010 द्वारा विधि विभाग की राय के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि राज. स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 91(2) के अनुसार राजस्थान स्टाम्प लॉ (अडपटेशन) एक्ट, 1952 (भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899) के प्रावधानों के अधीन जारी अधिसूचनायें नये अधिनियम में भी जारी की गई समझी जावेगी, जब तक की वे वर्तमान अधिनियम, 1998 के प्रावधानों से असंगत न हों। पूर्व अधिनियम में स्टाम्प शुल्क को कम करने की शक्तियां राज्य सरकार को थी तथा नये अधिनियम की धारा 7 में भी ये शक्तियां राज्य सरकार को प्राप्त है। राज्य सरकार के उपरोक्त मार्गदर्शन से यह स्पष्ट है कि पूर्व अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क मे रियायत के संबंध में जारी समस्त अधिसूचनाएँ वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत भी प्रभावी हैं।"

लगातार.............5

विभाग स्वयं द्वारा ली गयी उपरोक्त विधिक धारणा से भी स्पष्ट है कि मुद्रांक शुल्क मे रियायत के संबंध में जारी समस्त अधिसूचनाएँ वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत भी प्रभावी है। इस प्रकार इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 जो भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 जो कि वर्तमान राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के लागू होने की दिनांक 27.05.2004 से पूर्व लागू था, के अन्तर्गत जारी अधिसूचना का लाभ इस दस्तावेज पंजीयन दिनांक 17.07.2008 पर देय है।

10. निगरानी का अन्य विवादित बिन्दु यह है कि जिस संपत्ति का विभाजन पत्र निष्पादित किया गया था वह संपत्ति पैतृक नही होकर श्रीमति यशोदा देवी की स्वयं अर्जित आय से क्रय की गई संपत्ति थी जिससे पैतृक संपत्ति नही मानी जा सकती। अतः इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि विचाराधीन दस्तावेज से संबंधित संपत्ति पैतृक है या नही।

पैतृक संपत्ति के संबंध में The Advanced Law Lexicon (Law Dictionary compiled and edited by P. Ramanatha Aiyar Published by Wadhwa & Company Nagpur, India 3rd Edition Reprint 2007) में निम्न प्रकार उल्लेख किया गया है :-

Ancestral Property : If property came to a son as gift from his father, it can not be regarded his ancestral property. **Ancestral properties in the ordinary sense mean property of the father which is inherited. Ancestral property does not necessarily mean property which has been a long time in a family, it rather means, property derived from the proprietor's father.** इस डिक्शनरी में पैतृक संपत्ति के संबंध में की गई व्याख्या से यह स्पष्ट है कि यदि कोई संपत्ति पिता या उच्चतर श्रेणी के पूर्वजों से कोई संपत्ति प्राप्त होती है तो वह पैतृक संपत्ति की श्रेणी में है। स्वाभाविक रूप से माता की सम्पत्ति विरासतन प्राप्त होने से वह सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी में है। बंटवारनामा दस्तावेज पंजीयन दिनांक 17.07.2008 मे बंटवारनामा अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित हुआ है। श्रीमति यशोदा देवी का स्वर्गवास 08.10.1998 में होना दस्तावेज में अंकित है तथा दस्तावेज में यह उल्लेख है कि दस्तावेज से संबंधित संपत्ति श्रीमति यशोदा देवी द्वारा क्रय की गई थी। इस प्रकार संपत्ति श्रीमति यशोदा देवी की स्व-अर्जित संपत्ति है जो कि उनके मृत्यु के पश्चात विरासतन प्राप्त हुई है जो अप्रार्थीगण की पैतृक संपत्ति मानी जायेगी। इस प्रकार निगरानी का यह आधार स्वीकार योग्य नही है कि बंटवारनामा से संबंधित संपत्ति पैतृक नही है।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर बटवारनामा से संबंधित संपत्ति अप्रार्थीगण को उनके मृत्यु के बाद संपत्ति विरासतन प्राप्त होने के कारण पैतृक एवं ऐसे दस्तावेज पर अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 लागू होने के कारण निगरानी सारहीन है एवं खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाता है।

12. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य

(राजीव चौधरी)
सदस्य